**<u>प्रतिवेद्य</u>**

**भारतीय सर्वोच्च न्यायालय**

**आपराधिक अपीलीय अधिकारिता**

<u>आपराधिक अपील संख्या 404/2013</u>

भारत संघ व अन्य ..... **अपीलार्थी(गण)**

बनाम

पी. एस. गिल ..... **प्रत्यर्थी(गण)**

**निर्णय**

**<u>एल. नागेश्वर राव, न्यायाधीश</u>**

**1.** भारतीय संघ ने सशस्त्र सेना अधिकरण, प्रधान पीठ नई दिल्ली (एतद्पश्चात, 'अधिकरण') द्वारा दिए गये दिनांक 23.02.2010 के आदेश जिसके द्वारा प्रत्यर्थी के खिलाफ़ जनरल कोर्ट मार्शल शुरू किया गया था, को रद्द करने के निर्णय के विरुद्ध अपील की है।

**2.** साल 2005 में, सेना कर्मचारियों के प्रमुख ने राशन प्राप्ति में हो रही अनियमितताओं, जिनके कारण सैन्य दलों की आपूर्ति के साथ समझौता हुआ था, से सम्बंधित आरोपों की जाँच, जाँच न्यायालय (कोर्ट ऑफ़ इन्क्वायरी) द्वारा करने का निर्देश दिया। दिनांक 10.10.2005 को पूर्वोक्त अनियमितताओं के लिए ज़िम्मेदार फौजी कर्मचारी की पहचान के

लिए जनरल ऑफिसर मुख्य कमान आधिकारी (प्र.ज.अ.क) पश्चिमी कमान द्वारा एक जांच न्यायालय संयोजित किया गया| जांच न्यायालय द्वारा 23 गवाहों का परीक्षण किया गया। जांच न्यायालय ने बारह सेना कर्मियों की पहचान की जो कि कथित गलती के लिए प्रथम दृष्टया ज़िम्मेदार थे। प्रत्यर्थी, जो कि मुख्य निदेशक-क्रय के रूप में सेना-क्रय संगठन, रक्षा मंत्रालय, में कार्यरत था, उन बारह लोगों में से एक था जिनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाया गया। जनरल ऑफिसर मुख्य कमान आधिकारी पश्चिमी कमान द्वारा 14.06.2006 को प्रत्यर्थी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई भी शुरू की गयी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई। दिनांक 11.01.2007 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने जांच न्यायालय को इस आधार पर रद्द कर दिया कि सेना नियम, 1954 (एतद्पश्चात 'सेना नियम') के नियम 180 का उल्लंघन किया गया। तथापि अपीलार्थियों को ये विकल्प भी दिया गया कि वे या तो सेना नियम के नियम 180 का पालन करते हुए एक नए जांच न्यायालय का गठन करें या बिना जांच न्यायालय पर निर्भर हुए आरोप की सुनवाई सीधे नियम 22 के अंतर्गत करते हुए आगे बढ़ें। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए

विकल्प के अनुसार जांच न्यायालय पुनर्गठित किया गया| इसके बाद अपीलार्थियों ने दिनांक 29.07.2008 के आदेश के संशोधन की मांग करते हुए उच्च न्यायालय को सूचित किया कि कार्यवाई सेना नियम के नियम 22 के अंतर्गत शुरू की जाएगी क्योंकि इसमें शामिल ज़्यादातर अधिकारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे और जांच न्यायालय का पुनगर्ठन कठिन होगा। उच्च न्यायालय ने पुराने जांच न्यायालय पर निर्भर ना होने की शर्त रखते हुए अपीलार्थियों को नियम 22 के अंतर्गत आगे बढ़ने की अनुमति प्रदान की। सेना कर्मचारियों के प्रमुख के जिस आदेश से अपराध का संज्ञान लिया गया तथा दिनांक 26.09.2008 को कुर्की आदेश जारी किया गया था वह दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रत्यर्थी द्वारा दायर की गयी एक दूसरी रिट याचिका की विषय वस्तु था, जिसे 03.10.2008 को खारिज किया गया।

**3.** 08.12.2008 को नियम 22 के अंतर्गत प्रत्यर्थी के विरुद्ध आरोप की सुनवाई शुरू की गयी तथा 24.12.2008 को प्रत्यर्थी के विरुद्ध सेना नियम 23 के अंतर्गत साक्ष्यों के सारांश की रिकॉर्डिंग का आदेश दिया गया। प्रत्यर्थी के कमांडिंग अफ़सर अर्थात जनरल कमांडिंग अफ़सर (ज.क.अ.), 15 पैदल सेना प्रभाग ने पाया कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध कोई

प्रथम-दृष्टया अपराध नहीं बनता। दिनांक 28.04.2009 को ज.क.अ., 15 कोर ने कथित राय को अनुमोदित किया। इस दौरान 31.05.2009 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर प्रत्यर्थी सेवानिवृत हो गया। परन्तु अपीलार्थियों ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाई जारी रखने के लिए सेना अधिनियम, 1950 की धारा 123 का प्रयोग किया। प्र.ज.क.अ. पश्चिमी कमान ने मामले की और ज.क.अ., 15 पैदल सेना प्रभाग तथा ज.क.अ., 15 कोर की सिफारिशों की जाँच की। वह ज.क.अ., 15 पैदल सेना प्रभाग तथा ज.क.अ., 15 कोर की राय से असहमति जताते हुए इस निष्कर्ष पर पहुचे कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है| प्रत्यर्थी द्वारा प्र.ज.अ.क. पश्चिमी कमान के जांच परिणाम को चुनौती देने का प्रयास किया गया जो विफल रहा। पत्र दिनांक 23.02.2010 द्वारा जनरल कोर्ट मार्शल लागू किया गया। प्रत्यर्थी ने ओ.ए. सं. 147/2010. दायर करके जनरल कोर्ट मार्शल लागू करने वाले आदेश की वैधता का विरोध किया। उसने उसको प्रथम दृष्टया दोषी ठहराने वाली जांच न्यायालय की कार्यवाही, साक्ष्यों के सारांश तथा प्र.ज.अ.क., पश्चिमी कमान के निष्कर्ष को भी रद्द करने की मांग की। इसके अतिरिक्त उसने अपने विरुद्ध सेवा निवृत्ति के बाद भी कार्यवाही

जारी रखने के लिए सेना नियम की धारा 123 के प्रयोग पर भी सवाल उठाए। उसने अपने सहकर्मियों के साथ मेजर जनरल के पद पर पदोन्नति की मांग भी की।

**4.** अधिकरण ने ये माना की प्रत्यर्थी के विरुद्ध जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा कार्यवाई करने के लिए कोई प्रथम-दृष्टया मामला नहीं बनता। अधिकरण के विचार से यदि अभियोजन पक्ष के सभी साक्ष्यों को सच भी मान लिया जाए तो भी प्रत्यर्थी के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता। अपीलार्थियों ने इस न्यायालय के समक्ष आने के लिए सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम (एतद्पश्चात 'अधिनियम'), 2007 की धारा 31 के अंतर्गत अपील करने की अनुमति प्राप्त करने का प्रयास किया जिसकी सुनवाई नहीं की गयी। अधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट होकर उपरोक्त अपील दायर की गयी है।

5. प्रत्यर्थी के विरुद्ध आरोप इस प्रकार है:

> ***"पहला आरोप"***
> *क क 52 (च) ऐसा अपराध जो सेना अधिनियम की धारा 52 के खंड (च) में वर्णित है, उसमे कपट-वंचन के आशय से, उसने नई दिल्ली में 15 मार्च 2005 को, जो कार्रवाई करने वाले सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में दिनांक 25 सितम्बर 2008 को आया, मुख्य निदेशक-क्रय, सेना क्रय संगठन, रक्षा मंत्रालय, के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, सेना क्रय संगठन, रक्षा मंत्रालय,*

*रक्षा विभाग के 1987 के समेकित आदेश संख्या 3, के प्रतिकूल, धोखे के इरादे से, (नाम: गाडरवारा, जिला नरसिंगपुर (म.प्र.) और नरसिंगपुर (म.प्र.) जोखिम क्रय अनुबन्ध संख्या: J-13028/1/4-03/45-RP/2005-PUR III दिनांक 28 फरवरी 2005 के लिए निविदा की स्वीकृति संपूर्ण मसूर को मेसर्स ग्रीन फेड, गुजरात सहकारी आनाज उत्पादक संघ लिमिटेड, को प्रदान किया) दो अतिरिक्त निविदा स्टेशनों की सुपुर्दगी समय के अंतिम दिन निविदा की स्वीकृति जारी करने के पश्चात मंजूरी प्रदान की|*

***दूसरा आरोप:***

*क क धारा 63 (पहले आरोप के विकल्प में) सुव्यवस्था और सैनिक अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य जिसके अनुसार उसने नई दिल्ली में 15 मार्च 2005 को, जो कार्रवाई करने वाले सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में 25 सितम्बर 2008 को आया, मुख्य निदेशक-क्रय, सेना क्रय संगठन, रक्षा मंत्रालय, के रूप में कर्तव्यो के निर्वहन के दोरान, सेना क्रय संगठन, रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग के 1987 के समेकित आदेश संख्या 3, के प्रतिकूल, अनुचित ढंग से (नाम: गाडरवारा, जिला नरसिंगपुर (म.प्र.) और नरसिंगपुर (म.प्र.) जोखिम क्रय अनुबन्ध संख्या: J-13028/1/4-03/45-RP/2005-PUR III दिनांक 28 फरबरी 2005 के लिए निविदा की स्वीकृति संपूर्ण मसूर को मेसर्स ग्रीन फेड, ( गुजरात सहकारी आनाज उत्पादक संघ लिमिटेड) को प्रदान किया दो अतिरिक्त निविदा स्टेशनों की सुपुर्दगी समय के अंतिम दिन निविदा की स्वीकृति जारी करने के पश्चात मंजूरी प्रदान की|*

***तीसरा आरोप***

*क क 52 (च) ऐसा अपराध जो सेना अधिनियम धारा 52 के खंड (च) में वर्णित, कपट-वंचन के आशय से, उसने नई दिल्ली में 29 जुलाई 2005 को या उसके आसपास, जो कार्रवाई करने वाले सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में दिनांक 25 सितम्बर 2008 को आया, मुख्य निदेशक-क्रय, सेना क्रय संगठन, रक्षा मंत्रालय, के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन*

*करते हुए, और यह पता होते हुए कि क़ानूनी जटिलताओ को बचाने के लिए भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ए. पी.ओ. दिशा निदेश का पैरा 4(VI) की संख्या J11011/1/2000-CDN, दिनांक 30 मार्च 2000 जोखिम क्रय अनुबंध में ए एस सी विशिष्ट तथा कीमतों में परिवर्तन को निषेध करता है धोखा देने के इरादे से 300-350 दाने प्रति 100 ग्राम, जैसा कि संशोधित ए एस सी विशेष वर्णन सं. 97 में अनुबंधित है, के बजाय प्रति 100 ग्राम काबली चना में 350/400 दाने हेतु 0.5% मूल्य कटौती पर जोखिम क्रय संविदा स्वीकृति निविदा सं. J-13075/5/163/2005-PUR III दिनांक 27 जून 2005 में मेसर्स पंजाब स्टेट सिविल सप्लाइज कोर्प लिमिटेड को छूट प्रदान करने वाले पत्र सं. 69642/5/1-05/163-RP/05/Q/ST-7 दिनांक 29 जुलाई 2005 द्वारा आपूर्ति एवं परिवहन के महानिदेशक के निर्णय को सहमति दे दी|*

***चोथा आरोप:***

*क क धारा 63 (तीसरे आरोप के विकल्प में) सुव्यवस्था और सैनिक अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली चूक (An Act Prejudicial to Good Order and Military Discipline) उसने नई दिल्ली में 29 जुलाई 2005 को या उसके आसपास, जो कार्रवाई करने वाले सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में दिनांक 25 सितम्बर 2008 को आया, मुख्य निदेशक-क्रय, सेना क्रय संगठन, रक्षा मंत्रालय, के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, और यह पता होते हुए कि क़ानूनी जटिलताओ को बचाने के लिए भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ए. पी.ओ. दिशा निदेश का पैरा 4(VI) की संख्या J-11011/1/2000/CDN, दिनांक 30 मार्च 2000 जोखिम क्रय अनुबंध में ए एस सी विशिष्ट तथा कीमतों में परिवर्तन को निषेध करता है धोखा देने के इरादे से 300-350 दाने प्रति 100 ग्राम, जैसा कि संशोधित ए एस सी विशेष वर्णन सं. 97 में अनुबंधित है, के बजाय प्रति 100 ग्राम काबली चना में 350/400 दाने हेतु 0.5% मूल्य कटौती पर जोखिम क्रय संविदा स्वीकृति निविदा सं. J-13075/5/163/2005-PUR*

*III दिनांक 27 जून 2005 में मेसर्स पंजाब स्टेट सिविल सप्लाइज कोर्प लिमिटेड को छूट प्रदान करने वाले पत्र सं. 69642/5/1-05/163-RP/05/Q/ST-7 दिनांक 29 जुलाई 2005 द्वारा आपूर्ति एवं परिवहन के महानिदेशक के निर्णय को गलत तरीके से सहमति दे दी|*

***पांचवा आरोप***

*क क धारा 52(च) ऐसा अपराध जो सेना अधिनियम की धारा 52(च) में वर्णित है, उसमें कपट वंचन के आशय से उसने नई दिल्ली में, 23 अगस्त 2005 अथवा इसके आस-पास, जो कार्रवाई करने वाले सक्षम, प्राधिकारी के संज्ञान में दिनांक 25 सितंबर 2008 को आया, मुख्य निदेशक-क्रय, सेना क्रय संगठन, रक्षा मंत्रालय के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, और यह पता होते हुए कि कानूनी जटिलताओं को बचाने के लिए भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ए. पी. ओ. दिशा निर्देश सं. J11011/1/2000-CDN का पैरा 4(VI) दिनांक 30 मार्च 2000 जोखिम क्रय अनुबंध में ए.एस.सी. विशिष्ट विवरण तथा कीमतों में परिवर्तन को निषेध करता है, धोखा देने के इरादे से, 300-350 दाने प्रति 100 ग्राम, जैसा कि संशोधित ए एस सी विशेष वर्णन सं. 97 में अनुबंधित है, के बजाय प्रति 100 ग्राम काबली चना में 350/400 दाने हेतु 0.5% मूल्य कटौती पर जोखिम क्रय संविदा स्वीकृति निविदा सं. J13075/7/165/2005-PUR III दिनांक 27 जून 2005 में मेसर्स एम् एम् टी सी को छूट प्रदान करने वाले पत्र सं. 69644/7/4-05/165-RP/05/Q/ST-7 दिनांक 23 अगस्त 2005 द्वारा आपूर्ति एवं परिवहन के महानिदेशक के निर्णय को सहमति दे दी|*

***छठा आरोप***

*कक धारा 63 (पांचवे आरोप के विकल्प में) अच्छी व्यवस्था और सैनिक अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली चूक (AN OMISSION PREJUDICIAL TO GOOD*

*ORDER AND MILITARY DISCIPLINE) उसमें उसने नई दिल्ली में, उसने 23 अगस्त 2005 अथवा इसके आस पास, जो कार्यवाई करने वाले सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में दिनांक 25 सितम्बर 2008 को आया, मुख्य निदेशक-क्रय, सेना क्रय संगठन, रक्षा मंत्रालय के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, और यह पता होते हुए कि कानूनी जटिलताओं को बचाने के लिए भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ए. पी. ओ. दिशा निर्देश सं. J11011/1/2000/CDN का पैरा 4 (VI) दिनांक 30 मार्च 2000 जोखिम क्रय अनुबंध में ए. एस. सी. विशिष्ट तथा कीमतों में परिवर्तन को निषेध करता है, गलत तरीके से, 300-350 दाने प्रति 100 ग्राम, जैसा कि संशोधित ए. एस. सी. विशेष वर्णन सं. 97 में अनुबंधित है, के बजाय प्रति 100 ग्राम काबली चना में 350/450 दाने हेतु 0.5% मूल्य कटौती पर जोखिम क्रय संविदा स्वीकृति निविदा सं. J-13075/7/165/2005-PUR III दिनांक 27 जून 2005 में मेसर्स एम् एम् टी सी को छूट प्रदान करने वाले पत्र सं. 69644/7/4-05/165-R/05/Q/ST/-7 दिनांक 23 अगस्त 2005 द्वारा आपूर्ति एवं परिवहन के महानिदेशक के निर्णय को सहमति दे दी|*

6. अधिकरण को इस बात का पता होते हुए कि आरोप तय करते समय केवल अभिलेख पर मौजूद सामग्री के प्रमाणन मूल्य को देखा जाता है यह निर्णय लेने में आगे बढ़ा कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है| प्रथम आरोप, जो की गाडरवारा और नरसिंगपुर, मध्य प्रदेश नाम के दो और टेंडरिंग स्टेशन को जोड़ने से सम्बंधित था, के लिए अधिकरण ने उक्त आरोपों के समर्थन में रिकॉर्ड पर लाए गए प्रदर्शों का परीक्षण किया। अधिकरण ने माना कि दो टेंडरिंग स्टेशन को जोड़ा जाना प्रत्यर्थी

की अधिकारिता में नहीं आता था। सी.डी.पी. सेना क्रय संगठन, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली, के ब्रिगेडियर पी.पी.एस. बाल ने अपने साक्ष्य में कहा कि वह दो अतिरिक्त निविदा केंद्रों के सम्मिलन को अनुमति देने वाले 1987 के समेकित आदेश सं. 3 से अवगत थे। इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त निविदा केंद्र होने चाहिए जिसके लिए लेखा परीक्षा प्राधिकरण या रक्षा खातों के प्रमुख नियंत्रक (पी.सी.डी.ऐ.) की ओर से कोई आपत्ति नहीं थी। अधिकरण ने आगे यह माना कि प्रत्यर्थी ने दो निविदा केंद्रों को जोड़ने से कोई मौद्रिक लाभ नहीं प्राप्त किया और अपीलार्थियों पर भी दो नए केंद्रों को जुड़ने से कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आया।

7. जहाँ तक दूसरे आरोप, जो की वितरण अवधि के विस्तार और अंतिम निष्पादन नोटिस को जारी करने से सम्बंधित है, की बात है, अधिकरण का विचार था कि प्रत्यर्थी की ओर से प्रदायक को लाभ पहुंचाने वाले किसी कार्य या चूक को सिद्ध करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था। इसके अलावा साक्ष्य यह व्यक्त कर रहे थे कि प्रदायक द्वारा अतिरिक्त परिवहन खर्च उठाया गया। अधिकरण ने यह राय दी कि किसी भी सरकारी निर्देश का उल्लंघन नहीं हुआ था। डी.डब्ल्यू.-1,

श्री पी.वी.डी. प्रसादा राव, उप-सचिव भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहयोग विभाग, नई दिल्ली के साक्ष्य को साक्ष्य सारांश में रिकॉर्ड किया गया और अधिकरण द्वारा अवलोकित किया गया। यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी की ओर से गलती का कोई प्रथम-दृष्टया आधार भी नहीं था।

**8.** ए.एस.सी. विनिर्देशों से विचलन और जोखिम क्रय अनुबंध में मूल्य कटौती आरोप संख्या 3 से 6 की विषय वस्तु थी पी.डब्ल्यू-1, ब्रिगेडियर पीपीएस बाल और पी.डब्ल्यू-2 कर्नल अम्बरीश मल्होत्रा के साक्ष्य को देखने के बाद, अधिकरण ने प्रत्यर्थी के इस तर्क दावे को स्वीकार किया कि आपूर्ति और परिवहन महानिदेशक (आपू. और परि. महा.) विनिर्देशो में छूट प्रदान करने वाले एकमात्र प्राधिकारी थे और प्रत्यर्थी जो एक सी.डी.पी. थे उनके पास आपू. और परि. महा. के निर्णय को रद्द करने की शक्ति नहीं थी| पूर्वकथित कारणों से अपीलार्थीगण का निवेदन कि प्रत्यर्थी पर आपू. और परि. महा. के दिशानिर्देशो के उल्लंघन का विरोध का दायित्व था आधिकरण ने इस बात को स्वीकार नहीं किया| यहाँ तक कि आर.पी. अनुबंधों में कीमत कटौती के सम्बन्ध में मौजूदा दिशानिर्देशो पर ध्यान दिए बिना दिनांक 02.08.2005, 12.09.2005 तथा

13.09.2005 को जारी करने से सम्बंधित सातवे आरोपों पर अधिकरण ने प्रत्यर्थी का समर्थन किया| उपरोक्त साक्ष्यो के आधार पर, अधिकरण ने पाया कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रथम-दृष्टया कोई मामला नहीं बनता और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप टिकने योग्य नहीं थे परिणामस्वरूप आरोपों को रद्द किया गया|

**9.** श्रीमती दीक्षा राय, अपीलार्थी की तरफ से विद्वान आधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिकरण के निर्णय को क्षेत्राधिकार की त्रुटि के कारण नुकसान पहुंचा है उनके अनुसार इस मुकद्दमे में ओ.ए. अधिनियम की धारा 14 और 15 के तहत अधिकरण के एक निर्णय जिससे कोर्ट मार्शल किया गया के विरुद्ध ओ.ए. दर्ज कराया गया| श्रीमती राय के अनुसार अधिकरण के पास ओ.ए. को वादकालीन स्तर पर सुनने का आधिकार नहीं था| उन्होंने अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन पर भरोसा किया और कहा कि अधिकरण को केवल कोर्ट मार्शल के निर्णय से उत्पन्न अपीलों और सेवा मामलों के सम्बन्ध में शिकायतों और विवादों के निर्णयन का अधिकार है| उनके अनुसार कोर्ट मार्शल के द्वारा पारित किया गया अंतिम निर्णय अथवा आदेश एक फैसला है और इस प्रकार कोई आदेश जिसके द्वारा सामान्य कोर्ट मार्शल शुरू किया था, अधिकरण

के समक्ष अपील की विषय वस्तु नहीं हो सकता है| उन्होंने मामले के गुणागुण पर बहस की कि अधिकरण ने मामले के गुणागुण में गहराई में जाकर अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है जो केवल कोर्ट-मार्शल के द्वारा किया जा सकता है|

**10.** प्रत्यर्थी की तरफ से विद्वान आधिवक्ता श्री के. रमेश ने बहस की कि अधिनियम की धारा 14 कहती है कि अधिकरण सेवा मामलो के सन्दर्भ में सभी न्यायालयों के द्वारा प्रयोग किये जाने वाली अधिकारिता, शक्तियों, और आधिकारों का प्रयोग करेगा (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के अनुछेद 226 और 227 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के प्रयोग के सिवाए)| श्रीमान रमेश ने यह भी कहा कि धारा 14 (2) के तहत कोई भी व्यक्ति जो किसी सेवा विषयों से जुड़े आदेशो से असंतुष्ट है अधिकरण में आवेदन कर सकता है| उन्होंने निवेदन किया कि अधिकरण का क्षेत्राधिकार रुढ़िवादी आधारों पर कम नहीं किया जा सकता है और जिस आदेश से जनरल कोर्ट मार्शल शुरू किया गया उसको अधिकरण ने उचित रूप से ख़ारिज कर दिया|

**11.** सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम 2007 की धारा 14 और 15 जो इस मुकद्दमे में विवादों के निर्णयन के लिए आवशक हैं इस प्रकार है:

*"**14.** सेवा संबंधी मामलों में अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार"-*

*(1) इस अधिनियम में, अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अधिकरणनियत दिन से ही, सभी न्यायलयों द्वारा (संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते समय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सिवाय) सभी सेवा संबंधी मामलों के संबंध में उस दिन से ठीक पूर्व प्रयोक्तव्य सभी अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा ।*

*(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी सेवा संबंधी मामले के संबंध में किसी आदेश द्वारा व्यथित व्यक्ति अधिकरण को ऐसे प्ररूप में और ऐसे दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य सहित तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा ।*

*(3) सेवा संबंधी मामलों से संबंधित आवेदन की प्राप्ति पर, अधिकरण, यदि सम्यक् जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाता है कि वह उसके द्वारा न्यायनिर्णयन के लिए उपयुक्त है, ऐसे आवेदन को स्वीकार करेगा; किंतु जहां अधिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो वह आवेदन को, उसके कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, खारिज कर सकेगा ।*

*(4) किसी आवेदन के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, अधिकरण को निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है| जब वाद निम्नलिखित विषये के समंध में हो जेसे कि:*

*(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी कि परीक्षा करना|*

*(ख) प्रकटीकरण जरुरत तथा दस्तावेजो को प्रकट करना|*

*(ग) शपतपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना|*

*(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872 (1872 का 1) की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी*

*कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अपेक्षा करना;*

*(ड) साक्षियों या दस्तावेजो कि जाँच के लिए कमीशन निकालना;*

*(च)र्विलोकन करना अपने विनिश्चयों का पुन;*

*(छ) किसी आवेदन को ख़ारिज करना व्यतिक्रम में या उसका एकपक्षीय रूप से विनिश्च्य करना;*

*(ज) किसी आदेश या उसके द्वारा व्यतिक्रम में किसी आवेदन के खारिजी एकपक्षीय रूप से पारित किसी आदेश को अपास्त करना; और*

*(झकोई अन्य विषय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित ( किया जाए ।*

*(5) अधिकरण, विधि और तथ्यों संबंधी दोनों प्रकार के प्रश्नों का विनिश्चय करेगा जो उसके समक्ष उठाए जाएं ।*

*15. सेना न्यायालय के विरुद्ध अपील के मामलों में अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार-*

*(1) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अधिकरण नियत दिन से ही किसी सेना न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश, विनिश्चय, निष्कर्ष या दंडादेश के विरुद्ध अपील अथवा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक किसी मामले के संबंध में इस अधिनियम के अधीन प्रयोक्तव्य सभी अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा ।*

*(2) सेना न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश, विनिश्चय, निष्कर्ष या दंडादेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे प्ररूप, रीति में और ऐसे समय के भीतर जो विहित किए जाएं, अपील कर सकेगा ।*

*(3) अधिकरण को, किसी अपराध के और सेना अभिरक्षा में के किसी अभियुक्त व्यक्ति को ऐसी शर्तों के साथ जो विहित की जाएं या बिना किसी शर्त के, जैसा वह आवश्यक समझे, जमानत प्रदान करने की शक्ति होगी: परन्तु यदि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार प्रतीत होते हों कि वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी*

*अपराध का दोषी है तो ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा ।*

*(4) अधिकरण किसी सेना न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील मंजूर करेगा जहां-*

*(कसेना न्यायालय का निष्कर्ष किसी कारण से विधिक रूप ( से कायम रखने योग्य नहीं है; या*

*(खनिष्कर्ष में विधि के किसी प्रश्न पर गलत विनिश्चय ( अन्तर्वलित है; या*

*(ग विचारण के दौरान ऐसी (तात्विक अनियमितता हुई थी जिसके परिणामस्वरूप घोर अन्याय हुआ है, किन्तु किसी अन्य दशा में, जहां अधिकरण यह समझता है कि अपीलार्थी के साथ घोर अन्याय होने की संभावना नहीं है या इसके परिणामस्वरूप वास्तव में घोर अन्याय नहीं हुआ है वहां अपील खारिज कर सकेगा: परन्तु अधिकरण द्वारा अपील खारिज करने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा आदेश उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् नहीं किया जाता ।*

*(5) अधिकरण दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील मंजूर कर सकेगा और उस पर समुचित आदेश पारित कर सकेगा ।*

*(6) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण को, -*

*(क) निष्कर्षों के स्थान पर सेना न्यायालय, किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए दोष का निष्कर्ष देने, जिसके लिए अपराधी सेना न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक दोषी पाया जा सकता था, और, यथास्थिति, सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) अथवा वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट या ऐसे निष्कर्षों में अन्तर्वलित अपराध के लिए नए सिरे से कोई दंडादेश पारित करने की शक्ति होगी; या*

*(खयदि दंडादेश अत्यधिक (, अवैध या अनुचित पाया जाता है तो अधिकरण, -*

*(i) पूरे दंडोदश को या उसके किसी भाग को सशर्त या बिना किसी शर्त के माफ कर सकेगा;*

*(ii) दिए हुए दंड को कम कर सकेगा;*

*(iii) ऐसे दंड का किसी लघु दंड में या, यथास्थिति, सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) और वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) में उल्लिखित दंडों में लघुकरण कर सकेगा;*

*(ग) किसी सेना न्यायलय द्वारा अधिनिर्णीत दंडादेश में वृद्धि कर सकेगा:*

*परन्तु ऐसे दंडादेश में तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया हो;*

*(घयदि दंडादेश कारावास का है तो अपीलार्थी को सशर्त या ( बिना किसी शर्त के पैरोल पर छोड़ सकेगा;*

*(ङकारावास के दंडादेश को निलंबित कर सकेगा (;*

*(चकोई ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा (, जो वह ठीक समझे ।*

*(7) इस अधिनियम में किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी, इस धारा के प्रयोजनों के लिए अधिकरण को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 193, धारा 195, धारा 196 या धारा 228 और दंड प्रक्रिया संहिता, 197 3(1974 का 2) के अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए दंड न्यायालय समझा जाएगा ।*

**12**. अधिनियम की धारा 3 (ण) की जाँच करना भी जरुरी है जो सेवा विषयों को इस प्रकार स्पष्ट करता है:

*(ण) सेना अधिनियम (1950 का 46) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) या वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अध्यधीन व्यक्तियों के संबंध में "सेवा संबंधी मामलो" से उनकी सेवा शर्तों से संबंधित सभी मामले अभिप्रेत हैं और उनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं- :*

*(i) पारिश्रमिक (जिसके अंतर्गत भत्ते भी हैं), पेंशन और अन्य सेवानिवृति फायदे;*

*(ii) पदावधि, जिसके अंतर्गत कमीशन, नियुक्ति, अभ्यावेशन, परिवीक्षा, पुष्टि, ज्येष्ठता, प्रशिक्षण, प्रोन्नति, प्रतिवर्तन, समय-*

*पूर्व सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता, सेवा समाप्ति और शास्तिक कटौतियां;*

*(iii) संक्षिप्त निपटारा और विचारण जहां पदच्युति का दंड अधिनिर्णीत किया गया है;*

*(iv) कोई अन्य विषय, चाहे जो भी हो, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित से संबंधित मामले नहीं हैं-*

*(i) सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 18, नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 15 की उपधारा )1) और वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) की धारा 18 के अधीन जारी किए गए आदेश; और*

*(ii) स्थानांतरण और तैनातियां जिनके अन्तर्गत सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) और वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अध्यधीन व्यक्तियों से संबंधित तैनाती पर स्थान या यूनिट का परिवर्तन भी है चाहे वह व्यष्टिक रूप में या यूनिट घटक या पोत के भाग के रूप में हो;*

*(iii) (iii) किसी प्रकार की छुट्टी;*

*(iv) (iv) समरी सेवा न्यायालय, वहां के सिवाय, जहां दंड पदच्युति या तीन मास से अधिक के कारावास का है;*

**13.** प्रारम्भ में ध्यान देना आवश्यक है कि ओ.ए. अधिनियम की धारा 14 और 15 दोनों के तहत दाखिल की गई थी| धारा 15 अधिकरण को कोर्ट मार्शल के द्वारा पारित किसी आदेश, निर्णय, परिणाम या सजा के विरुद्ध अपील को सुनने का अधिकार एवम शक्ति प्रदान करती है|

**14.** आधिनियम की धारा 15 (2) अपील की व्यवस्था करती है जो कोर्ट मार्शल के द्वारा पारित आदेश, निर्णय, परिणाम या सजा से असंतुष्ट

किसी व्यक्ति के द्वारा दर्ज करायी जा सकती है| इस मुक़दमे में ओ.ए. में जिस आदेश को चुनौती दी गई है वह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा कोर्ट मार्शल चालू किया गया था क्योंकि कोर्ट मार्शल द्वारा कोई आदेश, निर्णय परिणाम या सजा नहीं दिया गया था अतः धारा 15 के अंतर्गत अपील स्वतः ही सुनवाई योग्य नहीं है|

**15.** धारा 14 व्यथित व्यक्ति को किसी भी सेवा मामले में अधिकरण में आवेदन दाखिल करने का अधिकार देती है| 'सेवा विषयों' को धारा-3(ण) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है उनकी सेवा की शर्तों से सम्बंधित सभी मामले जिसमे अन्य बातों के साथ सेवा की समाप्ति भी शामिल होगी जिसमे सेवा की समाप्ति अन्य विषयों में सम्मिलित है| कुछ विषयों को सेवा विषय की परिभाषा की परिधि से बहार रखा है| इसमें कोई विवाद नहीं है कि उक्त अपवाद इस मामले में लागू नहीं होता|

**16.** अधिनियम की धारा 3(ण) के तहत सेवा की शर्तों से सम्बंधित कोई मामला "सेवा विषयो" की परिभाषा में आता है और अधिकरण के समक्ष दर्ज किये गए आवेदन की विषय वस्तु हो सकता है| सेवा की शर्तों का अर्थ उन शर्तों से है जो किसी व्यक्ति द्वारा उसकी नियुक्ति से

लेकर सेवानिवृति तक तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन सहित उसके द्वारा धारित पद को नियंत्रित करती है अतः सेवा की शर्तों  में सेवा से निष्कासन भी शामिल है

**17.** अधिनियम की धारा 3 (ण) में "सेवा विषयों" की परिभाषा में "सेवा की शर्तों" के शब्दों से पहले "सम्बन्धित" शब्द की एक व्यापक व्याख्या होनी चाहिए|[2] मंसुकलाल धनराज जैन बनाम एकनाथ ओगले (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने ब्लैक लॉ डिक्शनरी में उल्लेख किया है जिसमे "सम्बन्ध" को इस इस तरह परिभाषित किया गया है.

> "किसी सम्बन्ध में होना; असर या वास्ता होना; जुड़ा; सन्दर्भ; संयोजन के साथ या संबंथ के साथ *आना*; साथ में"

**18.** उपरोक्त से स्पष्ट है कि सेवा समाप्ति के आदेश की ओर ले जाने वाली कोई भी कार्यवाही अभिव्यक्ति "सेवा की शर्त से सम्बंधित" में आती है| प्रत्यर्थी के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाहियों को किसी भी हाल में उसकी सेवाओ से सम्बंधित नहीं होना नहीं कहा जा सकता है| अन्य शास्तियों के आरोपण के आलावा, कोर्ट मार्शल द्वारा पारित किया जाने

वाला कोई अंतिम आदेश संभवतः प्रत्यर्थी को सेवा समाप्ति की ओर ले गया हो|

**19.** हमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की धारा 14 जो सेना के कर्मचारी की सेवा विषयों पर आधिकारिता प्रदान करती है को व्यापक अर्थ मिलना चाहिए| इस न्यायालय ने अधिनिर्धारित किया कि अधिकारिता समाप्त करने वाली व्याख्या के स्थान पर अधिकारिता प्रदान करने वाली व्याख्या को चुनना चाहिए|[3]

**20.** हम भी जागरूक हैं कि आधिनियम सेवा विषयों से सम्बंधित शिकायतों एवं विवादों का निपटारा करने के लिए बनाया गया था न कि केवल कोर्ट मार्शल के निर्णय के विरुद्द अपील का निपटारा करने के लिए| यह एक पुरानी विधि है कि उद्देश्यों और कारणों के कथन को व्याख्या के साधन के रूप में प्रोयग किया जा सकता है| ऊपर की चर्चा का निष्कर्ष है कि अधिकरण का आक्षेपित आदेश में आधिकारिता का अभाव नहीं है|

**21.** प्रत्यर्थी के विरुद्ध आरोपों को तय करने के सम्बन्ध में, हम अधिकरण के दृष्टिकोण में कोई त्रुटी नहीं पाते हैं | अभिलेख की सामग्री का अवलोकन कर अधिकरण इस निष्कर्ष पर पंहुचा कि प्रथम-दृष्टया

प्रत्यर्थी के विरुद्ध मामला नहीं बनता है| हम उक्त निर्णय में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं पाते है|

**22.** तदनुसार, याचिका को निरस्त किया जाता है|

**एल. नागेश्वर राव, न्यायाधीश**

**हेमंत गुप्ता, न्यायाधीश**

नई दिल्ली
नवम्बर 27, 2019

***<u>अस्वीकरण:</u>*** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी |*

---

1. महाराष्ट्रा सरकार ब. मार्वांजी एफ़. देसाई, (2002) 2 एस सी सी 318
2. मनसुखलाल धनराज जैन ब. एकांत ओगले, (1995) 2 एस सी सी 665
3. मंत्री टेक्नोजोन ब. फॉरवर्ड फॉन्डेशान, 2019 एससीसी ऑनलाइन एस सी 322 (3 जे. बी.)
4 एस.एस. बोला ब. बी डी. शर्मा (1997) 2 एस सी सी 522, महाराष्ट्र सरकार ब. मार्वांजी एफ़. देसाई, (2002) 2 एस सी सी 318